



194/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 3597 /28/76/एक/2018-19

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-फतेहपुर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

दिनांक 20 सितम्बर 2018

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आईडीबीआई बैंक	1060104000027609	IFSC Code IBKL0001060	181.610

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०पा०प० फतेहपुर	वार्ड नं० 14 मो० तुराबअली का पुरवा, शीतलानगर वार्ड रामगंज पक्का तालाब मे सन्तोष मौर्या के घर से रामशंकर के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.530
2	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०पा०प० फतेहपुर	वार्ड नं० 14 मो० तुराबअली का पुरवा, शीतलानगर वार्ड रामगंज पक्का तालाब मे दीपक के घर से रतन पासवान के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.990
3	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०पा०प० फतेहपुर	वार्ड नं० 14 मो० तुराबअली का पुरवा, शीतलानगर वार्ड रामगंज पक्का तालाब मे सत्येन्द्र के मकान से अजय के मकान होते हुए पुत्तन चौधरी तथा मुन्ना चौधरी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10.645
4	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०पा०प० फतेहपुर	वार्ड नं० 14 मो० तुराबअली का पुरवा, शीतलानगर वार्ड रामगंज पक्का तालाब मे रामसजीवन पासवान के घर से श्यामपाल पासवान के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.615
5	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०पा०प० फतेहपुर	वार्ड नं० 5 गढ़वा में बेचालाल के घर से जगमोहन रैदास के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	15.049



194/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
6	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० फतेहपुर	मो० वाल्मीकि बस्ती, रेल बाजार में द्विवेदी रेस्टोरेन्ट से रेल बाजार वाल्मीकि बस्ती होते हुए राजू वाल्मीकि के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.265
7	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०१ पुरानी बिन्दकी पश्चिमी में रामविशाल के घर से पण्डित की चक्की तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.808
8	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०१ पुरानी बिन्दकी पश्चिमी में सुभाष सिंह के मकान से बिन्दा सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.522
9	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०६ मो० पुरानी बिन्दकी पूर्वी में मन्नु के घर से अनिल सविता के मकान एवं शिवा प्रसाद के मकान तक	4.511
10	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० १८ मो० लंका क्वेटरा में रज्जन के मकान से खलील के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.981
11	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०५ जहानपुर पूर्वी में सत्तर के मकान से इसरार के मकान तक एवं इसरार के मकान से रामराज के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.965
12	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०२ में जीतू के घर से अन्सर अहमद के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	4.133
13	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०८ मीरखपुर पश्चिमी में शिखपाल के मकान से हरीलाल के मकान से होते हुए रामबाबू के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.242
14	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०८ मीरखपुर पश्चिमी में मनोज के घर से विश्वनाथ के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.533
15	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०पा०प० बिन्दकी	वार्ड नं० ०८ मीरखपुर पश्चिमी में राजू कोरी के घर से मेवालाल के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.297
16	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०प० हथगाम	वार्ड नं० ०१ कजियाना उत्तरी में छोटे लाल मास्टर के घर से बाबूलाल के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2.598
17	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०प० हथगाम	सूरज लाल के घर से दीनानाथ गौतम के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1.117
18	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०प० हथगाम	छेदू के मकान से नरेश पासवान के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1.183
19	फतेहपुर	मु०अ०-८३	न०प० हथगाम	गौरी शंकर के मकान से चौधरी जगरूप सिंह इण्टर कॉलेज तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.204



19413

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
20	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० हथगाम	मदन रैदास के घर से पप्पू के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1.281
21	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० हथगाम	मंगरू के मकान से माया गौतम के मकान से होते हुए मुन्ना फकीर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.769
22	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० हथगाम	रामप्रकाश के घर से सोसाइटी गेट तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2.567
23	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० हथगाम	विनोद कुमार की दुकान से होली मैदान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.332
24	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० हथगाम	छोटा पासी के घर से विजय रैदास के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.218
25	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० हथगाम	राकेश दिवाकर के घर से गौरी शंकर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1.117
26	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 02 में सूरजपाल के घर से हाईवे तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.607
27	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 02 में राजू पासवान के घर से कैलाश के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.399
28	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 13 में छेदू पासवान के घर से रामसिंह के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.058
29	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 02 में श्याम सुन्दर के घर से चन्द्रपाल के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.086
30	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 13 में सुरेश रैदास के घर से राम सिंह रैदास के घर तक कल्लू रैदास के घर होते हुए राम किशोर रैदास के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.531
31	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 02 में शीतल प्रसाद कोरी के घर से नन्दलाल पासवान के घर तक प्यारे के घर होते हुए नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.035
32	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	चन्द्रपाल प्रधान के घर से जियालाल रैदास के घर तक (पेन्टेड रोड) तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.828
33	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 03 में अजयपाल के घर से नहर पुलिया तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.510
34	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 02 में राजेलाल के घर से बजरंगी के घर होते हुए परसुराम के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.876
35	फतेहपुर	मु०अ०-83	न०प० खागा	वार्ड नं० 10 में वीरेन्द्र पासवान के घर से असगर के घर होते हुए रसूल एवं कासिम के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.208
	योग				181.610



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद् में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



194/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक